

(20519)

Roll No. ....

Total Questions : 13 ]

[ Printed Pages : 7

**NP-3569**

B.A. LL.B. Xth Semester Examination,  
May-2019

**LAW OF TAXATION**  
(BL-912)

*Time : 3 Hrs. ]*

*[ M.M. : 100*

*Note :- Attempt all the Sections as per instructions.*

सभी खण्डों को निर्देशानुसार हल कीजिए।

**Section-A**

(खण्ड-अ)

**Very Short Answer Type Questions**

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

**NA-362**

( 1 )

Turn Over

*Note :- Attempt all the five questions. Each question carries 4 marks. Very short answer is required not exceeding 75 words.*

सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है।

1. Distinguish between Tax and Cess.

कर तथा उपकर (चुंगी) के बीच अन्तर स्थापित कीजिए।

2. What do you mean by 'total income' ?

'सम्पूर्ण आय' से आपका क्या आशय है ?

3. Classify assessee according to status and residence.

करदाताओं का निवास तथा हैसियत के अनुसार वर्गीकरण कीजिए।

4. What do you mean by the term 'assets' under Wealth-tax Act ? Explain.

धनकर अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित पद 'परिसम्पत्ति' से आप क्या समझते हैं ? स्पष्ट कीजिए।

**NA-362**

( 2 )

5. What are the powers of Income-Tax Officer ?

आयकर अधिकारी की क्या-क्या शक्तियाँ हैं ?

**Section-B**

(खण्ड-ब)

**Short Answer Type Questions**

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

*Note :-* Attempt any *two* questions out of the following three questions. Each question carries 10 marks.

Short answer is required not exceeding 250 words.

निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। अधिकतम 250 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है।

6. What is agricultural income ? What are its kinds ?

Explain.

कृषि आय क्या है ? यह कितने प्रकार की होती है ? व्याख्या कीजिए।

NA-362

( 3 )

Turn Over

7. Explain about the valuation of assets under Wealth Tax Act.

धनकर अधिनियम के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के विषय में स्पष्ट कीजिए।

8. Explain the rules relating to set-off and carry forward of lossess under Income-Tax Act.

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत हानियों की पूर्ति एवं उनको आगे ले जाने वाले नियमों की व्याख्या कीजिए।

**Section-C**

(खण्ड-स)

**Long Answer Type Questions**

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

*Note :-* Attempt any *three* questions out of the following five questions. Each question carries 20 marks. Answer is required in detail.

निम्नलिखित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है।

NA-362

( 4 )

9. 'Residence' and not 'citizenship' is the criteria for taxability under the Income Tax Act. Comment and discuss in detail the criteria for residence of companies and firms.

भारतीय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर लगाने का आधार 'निवास' है न कि 'नागरिकता'। विस्तारपूर्वक विवेचना करते हुए कम्पनी तथा फर्म के निवास के आशय की समीक्षा कीजिए।

10. Discuss the constitution and powers of the Income-Tax Appellate Tribunal.

आयकर अपीलिय ट्रिब्यूनल के षट्क एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। <https://www.ccsustudy.com>

11. An assessment proceeding start with the filing of a return by the assessee and ends with an appeal to the Supreme Court. Discuss.

कर-निर्धारण की कार्यवाही करदाता द्वारा विवरण-पत्र दाखिल करने पर प्रारम्भ होती है और अन्त सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने पर होता है। समीक्षा कीजिए।

12. What do you mean by income ? Enumerate the classes of income which are exempt from tax and included in the total income of an assessee for rate purposes.

आय से आप क्या समझते हैं ? आय के उन वर्गों की संगणना कीजिए जो कर से मुक्त हैं तथा दर के प्रयोजनों के लिए करदाता की सकल आय में शामिल नहीं किए जाते हैं।

13. Write a note on any *one* of the following :

(a) Powers and functions of the Wealth Tax Authorities.

(b) The scope of the doctrine of Inter-Government Tax Immunities.

(c) Settlement of Grievances under Income-Tax Act.

निम्नांकित में से किसी एक पर टिप्पणी लिखिए :

- (अ) धन कर प्राधिकारियों की कार्य एवं शक्तियाँ
- (ब) अन्तर-सरकारी कर उन्मुक्ति के सिद्धान्त का दायरा
- (स) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत शिकायतों का निपटारा

<https://www.ccsustudy.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से